उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

शुक्रवार, 28 अग्रहायण, शक संवत्, 1925
(दिनांक : 19 दिसम्बर, 2003)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (देखिये नत्थी **"क"**)।

2. अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी **"ख"**)।

3. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

4. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

5. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

6. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

7. उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-"ग")

8. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

9. वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अनुपूरक अनुदानों की मांग पर चर्चा एवं मतदान :-

(1) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान सख्या-01-विधान सभा के अन्तर्गत **रू0 7100 हजार (इकहत्तर लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(2) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-03 मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत **रू0 30000 हजार (तीन करोड़)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(3) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-04-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत **रू0 119437 हजार (ग्यारह करोड़ चौरानवे लाख सैंतीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(4) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-05-निर्वाचन के अन्तर्गत **रू0 5800 हजार (अठ्ठावन लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(5) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत **रू0 263555 हजार (छब्बीस करोड़ पैंतीस लाख पचपन हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(6) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत **रू0 228319 हजार (बाईस करोड़ तिरासी लाख उन्नीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(7) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-10-पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत **रू0 61353 हजार (छः करोड़ तेरह लाख तिरपन हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(8) शिक्षा मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-11-शिक्षा, खेल एवं युवाकल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत **रू0 637305 हजार (तिरसठ करोड़ तिहत्तर लाख पाँच हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(9) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-12-चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत **रू0 17724 हजार (एक करोड़ सतहत्तर लाख चौबीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय।

...3/...

(10) ग्राम्य विकास एवं पेयजल मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-13-जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत **रू0 20590 हजार (दो करोड़ पाँच लाख नब्बे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(11) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-14-सूचना के अन्तर्गत **रू0 3065 हजार (तीस लाख पैंसठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(12) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-15-कल्याण योजनायें के अन्तर्गत **रू0 87091 हजार (आठ करोड़ सत्तर लाख इक्यानवे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(13) श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-16-श्रम और रोजगार के अन्तर्गत **रू0 12085 हजार (एक करोड़ बीस लाख पचासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(14) कृषि मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत **रू0 979674 हजार (सत्तानवे करोड़ छियानवे लाख चौहत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(15) सहकारिता मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-18-सहकारिता के अन्तर्गत **रू0 2754 हजार (सत्ताईस लाख चौवन हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(16) ग्राम्य विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-19-ग्राम्य विकास के अन्तर्गत **रू0 82228 हजार (आठ करोड़ बाईस लाख अठ्ठाईस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(17) सिंचाई मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-20-सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत **रू0 24563 हजार (दो करोड़ पैंतालीस लाख तिरसठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय।

...4/...

(18) लोक निर्माण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-22-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत **रू0 435001 हजार (तैंतालीस करोड़ पचास लाख एक हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(19) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-23-उद्योग के अन्तर्गत **रू0 131014 हजार (तेरह करोड़ दस लाख चौदह हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(20) परिवहन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-24-परिवहन के अन्तर्गत **रू0 5131 हजार (इक्यावन लाख इकतीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(21) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-25-खाद्य के अन्तर्गत **रू0 2400 हजार (चौबीस लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(22) पर्यटन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-26-पर्यटन के अन्तर्गत **रू0 15000 हजार (एक करोड़ पचास लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(23) वन एवं पर्यावरण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-27-वन के अन्तर्गत **रू0 18160 हजार (एक करोड़ इक्यासी लाख साठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(24) दुग्ध विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-28-पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत **रू0 70636 हजार (सात करोड़ छः लाख छत्तीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये स्वीकार की जाय।

10. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल विनियोग (2003-2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

11. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल विनियोग (2003-2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।

12. मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल विनियोग (2003-2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

13. मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल विनियोग (2003-2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

14. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के स्थान सिलोगी या जाखणीखाल में एक महिला पालीटेक्निक की स्थापना की जाय।"

15. काजी निजामुद्दीन, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का निश्चित मत है कि औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए कृषि योग्य सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए।"

16. श्री मातबर सिंह कण्डारी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुविचारित मत है कि प्रदेश के रेलमार्गों की न्यूनता को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा के सदस्यों को अनुमन्य रेलवे ट्रेवल कूपन्स के मूल्य के समतुल्य धनराशि पेट्रोल एवं डीजल के व्यय के लिए नगद भुगतान की व्यवस्था कर दी जाय।"

17. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा असरकारी विधेयक "उत्तरांचल गौ-वंश संरक्षण विधेयक, 2003" को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

18. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा "उत्तरांचल गौ-वंश संरक्षण विधेयक, 2003" को पुरःस्थापित करेंगे।

19. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा प्रस्ताव करेंगे कि "उत्तरांचल गौ-वंश संरक्षण विधेयक, 2003" पर विचार किया जाए।

...6/...

20. निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरणः-

प्रस्तावक का नाम	संकल्प
1. श्रीमती विजय बड़थ्वाल	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल के लक्ष्मण झूला स्वर्गाश्रम को नगर पंचायत बनाया जाय।"
2. श्री नारायण सिंह जन्तवाल	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अध्यक्ष, जिला पंचायत एवं ब्लाक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता द्वारा कराये जाय।"
3. श्री मदन कौशिक	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य में किसानों के गन्ना मूल्य निर्धारण एवं भुगतान हेतु नयी नीति बनाकर उसे तत्काल लागू किया जाय।"
4. श्री मातबर सिंह कण्डारी	"इस सदन का सुविचारित मत है कि उत्तरांचल के समग्र विकास के लिए अर्थशास्त्रियों उद्योग विशेषज्ञों, वन विशेषज्ञों, पर्यटन विशेषज्ञों तथा कृषि विशेषज्ञों की एक कमेटी नियोजन के लिए गठित की जाय।"
5. श्री प्रीतम सिंह पंवार	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक निधि द्वारा निर्माण कार्यों के अलावा धनावंटन करने के लिए मार्गदर्शिका में आवश्यक संशोधन तत्काल कराया जाय।"

21. आबकारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय (समय 15 मिनट)।

22. आबकारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

....7/...

23. मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय (समय 45 मिनट)।

24. मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

25. कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय (समय 15 मिनट)।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
(क) 1. श्री मालचन्द, 2. श्री हरबंस कपूर, 3. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, 4. श्री चन्द्रशेखर, 5. श्री सुरेश चन्द्र जैन, 6. मदन कौशिक, 7. श्रीमती वियज बड़थ्वाल, 8. श्रीमती आशा नौटियाल, 9. श्री महेन्द्र भट्ट, 10. श्री गोविन्द लाल, 11. श्री अनिल नौटियाल, 12. श्री भगत सिंह कोश्यारी, 13. श्री अजय भट्ट, 14. श्री कैलाश शर्मा, 15. श्री हरभजन सिंह चीमा, 16. श्री अरविन्द पाण्डे, 17. श्री प्रकाश पन्त, 18. श्री बिशन सिंह चुफाल,	"उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।" (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)
(ख) 1. श्री प्रीतम सिंह पंवार।	--- तदैव ---

26. कृषि मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

27. नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादूनः
दिनांक : 19 दिसम्बर, 2003

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तरांचल विधान सभा

तृतीय सत्र, 2003
का प्रथम शुक्रवार

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

शुक्रवार, 28 अग्रहायण, शक संवत्, 1925

(दिनांक : 19 दिसम्बर, 2003)

नत्थी 'क'

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त

तारांकित स्थगित प्रश्न

श्री अजय भट्ट 19.5.2003 श्री मातबर सिंह कण्डारी 29.5.2003	*1. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कुमाऊँ मण्डल एवं गढ़वाल मण्डल के पर्यटक आवास गृहों को सरकार निजी हाथों में सौंपने जा रही है? यदि हाँ, तो अब तक कुल कितने पर्यटक आवास गृह चिन्हित किये गये हैं तथा इनमें कार्यरत कर्मचारियों के बारे में क्या निर्णय लिया गया है? क्या सरकार इनके भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु कोई कार्य योजना बना रही है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

श्री मातबर सिंह कण्डारी 02-09-2003 श्री प्रीतम सिंह पंवार 17-09-2003	*1. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में गाड़ियों को चलाने की समय सीमा 10 वर्ष कर दी गयी है? क्या यह सही है कि इस प्रक्रिया से गाड़ी मालिकों के समक्ष आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न होने की सम्भावना है? यदि हॉ, तो क्या सरकार उक्त समय सीमा पर पुनर्विचार करेगी?	परिवहन
श्री प्रकाश पन्त 03-09-2003	*2. क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में बेस चिकित्सालय की स्थापना की मांग जनता लम्बे समय से करती आ रही है तथा उसे अविभाजित उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित भी किया गया था। यदि हॉ तो क्या सरकार बेस चिकित्सालय पिथौरागढ़ की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2003-04 में दिये जाने पर विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों?	स्वास्थ्य
काजी निजामुद्दीन 03-09-2003	*3. क्या कृषि मंत्री बताऐंगे कि सरकार कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिये कोई कार्य योजना बना रही है? यदि हॉ तो उसका प्रारूप क्या है? यदि नहीं तो क्यों?	द्वितीय मंगल के तारा.प्र. 06 में स्था.
श्री मदन कौशिक 08-09-2003	*4. क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरिद्वार के हरिद्वार शहर से लक्सर रोड पर शराब की दुकानें बस्ती और विद्यालयों के बीच में है? यदि हाँ तो क्या सरकार जनहित में तत्काल बस्ती/स्कूलों के मध्य पड़ने वाली शराब की दुकानों को हटाये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	आबकारी
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 08-09-2003	*5. 18-12-2003 को तारा.प्र. 10 द्वारा उत्तरित	

श्री प्रीतम सिंह पंवार 16.09.2003	*6. क्या आबकारी मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ धामों को जाने वाली मुख्य सड़कों पर अवस्थित कस्बों/शहरों में अंग्रेज़ी शराब की दुकानें खोले जाने के क्या मानक निर्धारित किये गये हैं? क्या उन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?	आबकारी
श्री बलबीर सिंह नेगी 20.09.2003	*7. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2003 में जनपद टिहरी गढ़वाल में वायरल फीवर की जाँच हेतु रक्त एवं गले के स्वाब के नमूने जाँच हेतु ''राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान,'' नई दिल्ली को भेजे गये थे? यदि हाँ, तो क्या उक्त संस्थान से जाँच रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उस रिपोर्ट को सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
डा0 नारायण सिंह जंतवाल 24.09.2003	*8. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ''परिवहन निगम'' का गठन करेगी? यदि हाँ, तो कब तक परिवहन निगम का गठन कर लिया जायेगा और उसका स्वरूप क्या होगा? यदि नहीं, तो क्यों?	परिवहन
श्री अजय भट्ट 22.09.2003	*9. क्या चिकित्सा मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल में खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या अपमिश्रण संबंधी खाद्य पदार्थों के नमूने लेने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में सक्षम अधिकारियों की पर्याप्त संख्या है? यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री हरबंस कपूर 22.11.2003	*10. क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि अल्ट्रा साउण्ड द्वारा भ्रूण परीक्षण के कारण प्रदेश में पुरूषों के सापेक्ष महिलाओं की जनसंख्या में कमी आ रही है? यदि हाँ, तो क्या अल्ट्रासाउण्ड द्वारा भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबन्ध को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य

अतारांकित प्रश्न

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 01-09-2003	1. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट के कुल सचिव के विरूद्ध गम्भीर वित्तीय व अन्य अनियमितताओं के आरोपों के विरूद्ध जाँच चल रही है? यदि हाँ तो उक्त जॉच किस अधिकारी के स्तर से की जा रही है, तथा जॉच में कितना समय व्यतीत हो चुका है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त जाँच कब तक पूरी हो जायेगी? यदि नहीं तो क्यों?	तकनीकी शिक्षा
श्री मदन कौशिक 01-09-2003	2. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में बालक/बालिकाओं का जन्मदर का अनुपात क्या है? क्या सरकार प्रदेश में भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिये प्रभावी कानून बनाकर उसे लागू करवाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री मदन कौशिक 01-09-2003	3. क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अभी तक डिस्टिलरी खोलने हेतु कितने आवेदन लम्बित हैं? क्या सरकार ने कोई डिस्टलरी खोलने की स्वीकृति दी है? यदि हाँ तो कहाँ?	आबकारी
श्री मदन कौशिक 02-09-2003 डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 15-10-2003	4. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस वर्ष प्रदेश में कुल कितने डाक्टरों की नियुक्ति की गयी है? प्रदेश में इस समय कितने पद रिक्त हैं, इन्हें भरने के लिये नियुक्तियाँ कब तक कर ली जायेगी? यदि नहीं तो क्यों ?	स्वास्थ्य
श्रीमती आशा नौटियाल 03-09-2003	5. क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के राज0 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर प्रशिक्षित बेरोजगार फार्मसिस्टों की आयु में छूट देकर नियुक्ति प्रदान करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ तो कब तक नियुक्ति दी जायेगी? यदि नहीं तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्रीमती आशा नौटियाल 03-09-2003	6. क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऊखीमठ के उच्चीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ तो कब तक उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कर दिया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्रीमती आशा नौटियाल 03-09-2003	7. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊखीमठ के भवन निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ तो कब तक यह भवन निर्माण कर दिया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?	तकनीकी शिक्षा

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 03-09-2003	8. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट एवम् गोविन्द बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कालेज पौडी में प्रधानाचार्य, आचार्य, सहायक आचार्य, प्रवक्ता, सहायक प्रवक्ता सहित तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	तकनीकी शिक्षा
श्री मदन कौशिक 03-09-2003	9. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार की कोई योजना है, यदि हाँ तो योजना का स्वरूप क्या है? यदि नहीं तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री मदन कौशिक 03-09-2003	10. क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कारगिल युद्ध एवं उसके बाद देश की रक्षा करते हुए शहीद एवं घायल हुए प्रदेश के सैनिकों एवं उनके परिजनों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा कोई दीर्घकालीन योजना बनायी गयी है? यदि हाँ तो योजना का प्रारूप क्या है? यदि नहीं तो क्यों?	सैनिक कल्याण
श्री प्रकाश पन्त 04-09-2003	11. क्या पर्यटन मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल के कितने जनपदों में पर्यटन कार्यालय स्थापित हैं तथा उनमें कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के पदों की रिक्तियों की अद्यतन स्थिति क्या है? रिक्त पदों को भरने की सरकार की कोई योजना है? यदि हॉ तो क्या तथा कब तक पद भर दिए जाएगें? यदि नहीं तो क्यों?	पर्यटन
श्री विशन सिंह चुफाल 05-09-2003	12. क्या पर्यटन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1995-96 में डीडीहाट नगर जनपद-पिथौरागढ़ में सुलभ शौचालय का निर्माण किया गया था तथा क्या इस शौचालय को उपयोग में लाया जा रहा है? यदि हाँ तो कब से? यदि नहीं तो क्यों?	पर्यटन
श्री प्रकाश पन्त 05-09-2003	13. क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि बी.डी.पान्डे जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में विगत लम्बे समय से हृदय रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ कार्यरत नहीं है? यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में उपरिवर्णित दोनों विशेषज्ञों की नियमित नियुक्ति जनहित में किये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री प्रकाश पन्त 06-09-2003	14. क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि पिथौरागढ़ के बी.डी.पान्डे जिला चिकित्सालय में एक मात्र अल्ट्रासाउन्ड मशीन खराब हो गयी है? यदि हाँ तो क्या क्षेत्रीय जनता को अल्ट्रासाउन्ड की सुविधा दिये जाने पर सरकार विचार करेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 08-09-2003	15. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय प्राविधिक संस्थानों में सेवारत अतिथि व्याख्याताओं को वेतनमान व अन्य सुविधायें देने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	तकनीकी शिक्षा

श्री नारायण राम आर्य 09-09-2003	16.	क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा इनमें कितने डाक्टर कार्यरत है? रिक्त पदों पर कब तक तैनाती कर दी जाएगी?	स्वास्थ्य
डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 09-09-2003	17.	क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के सीमान्त क्षेत्र जोशीमठ की जनता को स्वास्थ्य सम्बन्धी पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जोशीमठ को उत्तरांचल हैल्थ सिस्टम के तहत चयनित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 09-09-2003	18.	क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि विभाग के स्वीकृत पुर्नगठित ढांचे में विभाग के सरप्लस कर्मचारियों का समायोजन किया गया है? यदि हाँ, तो इनकी तैनाती कब तक की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 09-09-2003	19.	क्या पर्यटन मंत्री बतायेंगे कि जनपद देहरादून स्थित सौग नदी पर गूलर घाटी में पर्यटक स्थल विकसित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या होगा? यदि नहीं तो क्यों?	पर्यटन
श्री बलबीर सिंह नेगी 11-09-2003	20.	क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढवाल के चारधाम पदयात्रा मार्गों पर बेलक, झल्ला, बूढाकेदार, बिनकखाल, कल्दी, हटकुणी, घुत्तु, दो सांद और पंवाली काण्ठा को भी चारधाम यात्रा के लिए चिन्हित किया गया है? यदि हॉ तो क्या सरकार इन स्थानों को पर्यटन विकास से जोडने का प्रयास करेगी? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्री बलबीर सिंह नेगी 11-09-2003 श्री अरविन्द पाण्डे 15-09-2003	21.	क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने अब तक कितने झोलाछाप डाक्टरों को चिन्हित किया है? यदि नहीं तो क्या सरकार उत्तरांचल में झोलाछाप डाक्टरों को चिन्हित करेंगी? यदि हाँ तो कब तक?	स्वास्थ्य
डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 12.09.2003	22.	क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में पर्यटन विकास हेतु चयनित किये गये गाँवों में पर्यटन विकास की क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्री माल चन्द 16.09.2003	23.	क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला नामक स्थान में रोडवेज़ बस अड्डे का निर्माण प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	परिवहन

श्री माल चन्द 16.09.2003	24. क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत केदारकांठा, देववन, हरकी दून, सरूताल, बालचा, चांगसील, ब्राडसर, पोस्टारा आदि कई पर्यटक स्थल हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार पर्यटन के दृष्टिकोण से उक्त स्थानों पर यातायात की सुविधा मुहैया करायेगी?	परिवहन
श्री मातबर सिंह कण्डारी 18.09.2003	25. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने की सरकार ने कोई नीति बनाई है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उसके प्रारूप को सदन के पटल पर रखेगी?	कृषि
श्री प्रीतम सिंह पंवार 19.09.2003	26. क्या पर्यटन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में पर्यटन स्थल 'द्यारा' का पर्यटन विभाग ने वर्ष 1996–97 में राइट्स कम्पनी द्वारा कोई सर्वेक्षण करवाया था? यदि हाँ, तो उसकी सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या है? क्या उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 20.09.2003	27. क्या पर्यटन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में स्थित 'द्यारा' बुग्याल क्षेत्र को स्कीइंग रिसोर्ट के रूप में विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2003–04 में कुल कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है? उक्त योजना पर कब से कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है तथा योजना का बेस कैम्प स्थल कहाँ बनाया जायेगा?	पर्यटन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 20.09.2003	28. क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ अन्तर्गत ग्राम खाण्ड पट्टी गमटी में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में चिकित्सक का पद रिक्त है? यदि हाँ, तो जनहित में कब तक उक्त चिकित्सालय में चिकित्सक की तैनाती कर ली जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री प्रीतम सिंह पंवार 16.09.2003	29. क्या आबकारी मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के एफ. एल–5 चिन्यालीसौड़ में वर्ष 2002–03 में प्रहलाद सिंह पुत्र श्यामचन्द निवास पीपलमण्डी, चिन्यालीसौड़ का प्रपत्र विदेशी शराब 38 बनाया गया है? क्या प्रहलाद सिंह बालिग है? यदि नहीं, तो परमिट जारी करने वाले आबकारी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	आबकारी
श्रीमती विजय बड़थ्वाल 23.09.2003	30. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण नीलकण्ठ महादेव के विस्तारीकरण की रूपरेखा तैयार की जा रही है? यदि हाँ, तो उक्त स्थल का विस्तारीकरण कब तक पूर्ण किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन

श्री कैलाश शर्मा 23.09.2003 श्री मातबर सिंह कण्डारी 10.11.2003	31.	क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्यों तथा अनुदेशकों के कितने पद रिक्त हैं? क्या इन रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सरकार व्यवस्था कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	श्रम
श्री प्रीतम सिंह पंवार 24.09.2003	32.	क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि राज्य में संचालित बसों की आयु सीमा घटाने से लिंक मोटर मार्गों पर बसों की भारी कमी हो गयी है? क्या यह सत्य है कि यात्रियों को टैक्सी/कमाण्डरों पर दुगुना धनराशि का भुगतान करने के साथ-साथ निर्धारित मानकों से अधिक सवारियाँ टैक्सी/कमाण्डरों द्वारा बिठायी जा रही हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार लिंक मोटर मार्गों पर बसों के संचालन के लिए व्यवस्था कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	परिवहन
श्रीमती आशा नौटियाल 24.09.2003	33.	क्या श्रम मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत विकास खण्ड अगत्स्यमुनि में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक स्थापित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	श्रम
श्री मातबर सिंह कण्डारी 24.09.2003	34.	क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सम्पूर्ण स्वरोज़गार योजना तथा जवाहर रोज़गार योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को सरकार ने दैनिक मजदूरी की क्या दर निर्धारित की है?	श्रम
श्रीमती आशा नौटियाल 25.09.2003	35.	क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल देवरियाताल के सौन्दर्यीकरण एवं विकास के लिए वर्ष 2003-2004 के लिए कुल कितना धन आवंटित व स्वीकृत किया गया तथा सौन्दर्यीकरण का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्री कैलाश शर्मा 26.09.2003	36.	क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के वि0ख0 लमगड़ा के जलना क्षेत्र तथा हवालबाग वि0ख0 के शीतलाखेत एवं कसारदेवी पर्यटक स्थलों को पर्यटक ग्राम घोषित करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्री कैलाश शर्मा 26.09.2003	37.	क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कृषि विभाग में कृषि सामान्य, कृषि रक्षा, मृदा परीक्षण एवं भूमि संरक्षण अनुभागों में कार्यरत अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 1,2,3 एवं लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची किस आधार पर तैयार की गयी है?	कृषि

श्री प्रीतम सिंह पंवार 27.09.2003	38. क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राजकीय पॉलीटेक्निक उत्तरकाशी में फार्मेसी पाठ्यक्रम कुछ वर्ष पूर्व बन्द कर दिया गया? यदि हाँ, तो क्या जनपद के शिक्षित नौजवानों के हित में फार्मेसी पाठ्यक्रम पुनः प्रारम्भ किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	तकनीकी शिक्षा
श्री मातबर सिंह कण्डारी 24.09.2003	39. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार उत्तरांचल में पर्यटन को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है? क्या सरकार द्वारा इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस प्रारूप को सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्री मातबर सिंह कण्डारी 29.09.2003	40. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? सरकार कृषि व्यवसाय को लाभकारी बनाये जाने की दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है?	कृषि
श्री प्रीतम सिंह पंवार 30.09.2003	41. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में निदेशालय स्तर का कोई कार्यालय है? यदि नहीं, तो पर्यटन की असीम सम्भावनाओं के मध्य नज़र पर्यटन निदेशालय की स्थापना उत्तरकाशी में की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 30.09.2003	42. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में वर्ष 2002–03 में महिला कृषि तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत कितने चयनित उन्नतिशील महिला कृषकों को आधुनिक वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्रशिक्षण करवाया गया? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री प्रीतम सिंह पंवार 30.09.2003	43. क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कृषकों को लाइसेन्स के तहत डोडा (पोश्त) की खेती करने की अनुमति दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	आबकारी
श्री मातबर सिंह कण्डारी 30.09.2003	44. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार कृषकों के कृषि उत्पाद के विपणन की क्या व्यवस्था करने जा रही है? क्या सरकार द्वारा इस दिशा में कोई नीति बनायी गई है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नीति को सदन के पटल पर रखेगी?	कृषि

श्री प्रीतम सिंह पंवार 01.10.2003	45. क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा पत्रांक 1414/जाँच/02-03, दिनांक 13/3/03 के द्वारा जिला अधिकारी चमोली से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कर्णप्रयाग के चिकित्सक के विरूद्ध एक प्रसूता प्रकरण जाँच की आख्या चाहने विषय पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो जाँच कर ली गयी है? जाँच के परिणाम क्या हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री प्रीतम सिंह पंवार 01.10.2003	46. क्या पर्यटन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा पर्यटन ग्रामों का चयन कर लिया गया है? यदि हाँ, तो जनपद उत्तरकाशी में कौन-कौन गाँव पर्यटन ग्राम घोषित किये गये? पर्यटन ग्राम घोषित किये जाने के मानक क्या हैं?	पर्यटन
श्री अजय भट्ट 03.10.2003	47. क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या-1379/41-2001/2002, दिनांक 17 मई, 2001 के तहत राही मोटल हरिद्वार एवं पर्यटक आवास गृह पिरान कलियर के 25 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उक्त आवास गृहों की सम्पत्ति के साथ पर्यटन विभाग उत्तरांचल में संविलियन कर दिया गया है? यदि हाँ, तो ये कर्मचारी/अधिकारी वर्तमान में पर्यटन विभाग में कहाँ-कहाँ नियुक्त हैं? क्या सरकार उक्त कर्मचारी/अधिकारियों का पर्यटन विभाग उत्तरांचल में संविलियन किये जाने पर विचार कर रही है?	पर्यटन
श्री अजय भट्ट 03.10.2003	48. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगमों में संचालक मण्डल का गठन हो गया है? यदि हाँ, तो दोनों बोर्ड में कितने-कितने सदस्य हैं, तथा उनके नाम क्या हैं? यदि नहीं, तो संचालक मण्डल का गठन अब तक न किये जाने के लिए कौन उत्तरदायी हैं?	पर्यटन
श्री बलबीर सिंह नेगी 07.10.2003	49. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा विगत एक वर्ष में मण्डी स्थलवार कुल कितनी लागत के कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त निर्माण कार्यों की स्वीकृतियाँ कार्यवार किस स्तर के अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी है?	कृषि
श्री विशन सिंह चुफाल 08.10.2003	50. क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने ए.एन.एम. संविदा के आधार पर नियुक्त हैं? क्या सरकार इन ए.एन.एम. को नियमित नियुक्ति प्रदान करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 09.10.2003	51. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नवीन मण्डी स्थल रूड़की, जिला हरिद्वार के निर्माण कार्यों की जाँच किये जाने का प्रकरण उत्तरांचल शासन के संज्ञान में है? यदि हाँ, तो जाँच में कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाए गये तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 09.10.2003	52.	क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि मण्डी उत्पादन मण्डी परिषद का एक नया निर्माण खण्ड देहरादून में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है? यदि हाँ, तो नया खण्ड देहरादून में न खोले जाने के क्या कारण हैं?	कृषि
श्री प्रेमानन्द महाजन 09.10.2003	53.	क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि धान के फसल में झुलसा बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? इस रोग की रोकथाम के लिए क्या सरकार निःशुल्क कीटनाशक की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री तसलीम अहमद 13.10.2003	54.	क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि वि0 क्षे0 लालढांग (जनपद हरिद्वार) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ? क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में प्रा0स्वा0 केन्द्रों की स्थापना किये जाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 13.10.2003	55.	क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के आयुर्वेदिक चिकित्सालय बद्रीनाथ, तपोवन, बगना आदि के चिकित्साधिकारियों का जनपद से बाहर अन्यत्र किये गये सम्बद्धीकरण का निरस्तीकरण किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 13.10.2003	56.	क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के होम्योपैथिक चिकित्सालय पाखी एवं निजमुला में लम्बी अवधि से रिक्त चल रहे चिकित्साधिकारियों के पदों पर तैनाती कब तक कर ली जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 13.10.2003	57.	क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के संयुक्त चिकित्सालय गोपेश्वर एवं महिला चिकित्सालय जोशीमठ में स्त्रीरोग विशेषज्ञ व महिला चिकित्साधिकारी की तैनाती कब तक कर ली जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री मातबर सिंह कण्डारी 14.10.2003	58.	क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की कृषि नीति बन चुकी है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उस नीति को सदन के पटल पर रखेगी?	कृषि
श्री प्रकाश पंत 14.10.2003	59.	क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि नैनीताल-अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ के पैदल यात्रा मार्ग में अनेकों स्थानों पर पुरातन रात्रि पड़ाव स्थापित है? यदि हाँ, तो कितने स्थानों पर? क्या सरकार इन रात्रि पड़ावों को संरक्षण कर इनका उपयोग पर्यटकों को आकर्षण के रूप में करने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?	पर्यटन

श्री नारायण पाल 14.10.2003	60. क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सितारगंज ब्लॉक (उधमसिंह नगर जिले) में कितने चिकित्सक कार्यरत हैं? क्या यह सत्य है कि इन हॉस्पिटल में कोई भी महिला चिकित्सक नहीं है? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में यथा शीघ्र इन अस्पतालों में महिला चिकित्सकों की तैनाती करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?	स्वास्थ्य
श्री प्रकाश पंत 15.10.2003	61. क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि वर्ष 1967 से संचालित जनपद पिथौरागढ़ के महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री प्रशिक्षण केन्द्र को वर्ष 2003 में कियाशील न होने के कारण बन्द करने के आदेश निर्गत किये गये थे? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रशिक्षण केन्द्र को पुनः कियाशील कर संचालन करने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री प्रकाश पंत 15.10.2003	62. क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा में राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय दन्या का भवन कब से निर्माणाधीन है? क्या निर्धारित मानकों के अनुसार समस्त निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 15.10.2003	63. क्या पर्यटन मंत्री के संज्ञान में है कि कम्यूनिटी किचन स्कीम के तहत जनपद चमोली के दूरदराज़ अवस्थित गाँव डुमक, कलगोठ, उगम, गौणा गाड़ी, सरतोली आदि गाँवों को लाभान्वित किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 15.10.2003	64. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश के मँडुवे की बेबीफूड तैयार करने तथा मँडुवे का उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई कार्य योजना प्रस्तावित की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 16.10.2003	65. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में यात्रा सीज़न में सम्भावित दुर्घटनाओं के मध्यनज़र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चमोली एवं पीपलकोटी में ऐम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री प्रीतम सिंह पंवार 16.10.2003	66. क्या चिकित्सा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी देहरादून को प्रश्नकर्ता का पत्रांक 967/जाँच/02-03, दिनांक 14-12-2002 जो कु0 हिमानी पुत्री श्री प्रेमलाल बिजलवाण निवासी पीपलमण्डी चिन्यालीसौड़, जनपद उत्तरकाशी के ऑपरेशन जाँच प्रकरण के संदर्भ में प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री प्रीतम सिंह पंवार 16.10.2003	67. क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर बेरोज़गार डिप्लोमा फार्मेसिस्टों को संविदा के आधार पर नियुक्ति दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य

श्री प्रीतम सिंह पंवार 16.10.2003	68. क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि कार्यालय क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी उत्तरकाशी में निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तरांचल देहरादून के द्वारा वर्ष 2003 में चतुर्थ वर्ग में बाहरी जनपद के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई? यदि हाँ, तो जनपद के मूल निवासियों की नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार उक्त नियुक्ति को रद्द कर जनपद के मूल निवासियों की नियुक्ति करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री प्रीतम सिंह पंवार 16.10.2003	69. क्या चिकित्सा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कुथनौर उत्तरकाशी के कार्यालय भवन स्वामी को वर्ष 1991 से भवन किराया नहीं दिया गया है? यदि हाँ, तो भवन किराये का भुगतान कब तक कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री फूल सिंह बिष्ट 16.10.2003	70. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में मिलावटी व नकली आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने हेतु ड्रग एण्ड कॉस्मैटिक एक्ट के चैप्टर-IV ए, सेक्शन 33-एफ एवं 33-जी में क्या व्यवस्था है? क्या उक्त व्यवस्था लागू की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ड्रग एण्ड कॉस्मैटिक एक्ट के पार्ट XVIII, नियम-162, 163 के अन्तर्गत विगत 3 वर्षों में औषधि निरीक्षक (आयुर्वेदिक) द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? उक्त एक्ट के नियम 166 के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य में कितने आयुर्वेदिक औषधियों के नमूनों का परीक्षण कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री फूल सिंह बिष्ट 16.10.2003	71. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्टेट फार्मेसी/औषधि परीक्षण प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण योजना के अन्तर्गत ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज फार्मेसी प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण किया गया है? क्या यह सत्य है कि शासन द्वारा उक्त प्रयोगशाला का स्टेट डी.टी.एल. में उच्चीकरण न करने के कारण औषधि निर्माण शालाओं के औषधीय नमूनों का शुल्क के आधार पर परीक्षण नहीं हो पा रहा है जिसके फलस्वरूप प्रदेश को राजस्व हानि के साथ-साथ उक्त योजना का लाभ जन साधारण को नहीं मिल पा रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए इसकी जाँच करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री प्रीतम सिंह पंवार 17.10.2003	72. क्या जलागम प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकास खण्ड में अवस्थित अगलाड़ नदी क्षेत्र हेतु अगलाड़ जलागम महाप्रबन्ध बहुद्देशीय योजना स्वीकृत की गयी थी? यदि हाँ, तो उक्त योजना पर कब तक कार्य करवाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	जलागम प्रबन्धन

श्री प्रीतम सिंह पंवार 18.10.2003	73. क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि पर्यटन के क्षेत्र में स्वरोज़गार के अवसर उत्पन्न करने की दृष्टि से महत्वकांक्षी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पयर्टन स्वरोज़गार योजना पर बैंकों द्वारा वास्तविक बेरोज़गारों को ऋण नहीं दिया जा रहा है? क्या यह सत्य है कि उत्तरांचल में फैले ग्लेशियरों, प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थलों पर पयर्टन व्यवसाय को बैंक व्यवसायिक लाभ प्रदत्ता में निर्बल मान रहे हैं? यदि हाँ, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है?	पर्यटन
श्रीमती आशा नौटियाल 20.10.2003	74. क्या पर्यटन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत अगत्स्यमुनि में मन्दाकिनी के तट पर घाट निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक इस घाट का निर्माण किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्रीमती आशा नौटियाल 20.10.2003	75. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद-रूद्रप्रयाग के लिए जिला पर्यटन अधिकारी का पद सृजन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक पद सृजित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्री मातबर सिंह कण्डारी 21.10.2003	76. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के तेरह जिलों में आई.टी.आई. में कितने पद प्रधानाचार्य के रिक्त हैं? क्या सरकार इन रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी?	श्रम
श्री प्रीतम सिंह पंवार 19.09.2003	77. क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में कुल कितने खाद्य निरीक्षक के पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पदों पर तैनाती नहीं की गई है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2002-2003 में जनपद में कुल कितने व्यापारियों के खाद्य सामग्रियों के नमूने लिए गये? कितने व्यापारियों को मिलावट के लिए दोषी पाया गया? कितने व्यापारियों के विरूद्ध मुकद्दमें पंजीकृत/अभियोग दर्ज किये गये तथा कितने व्यापारियों को न्यायालय द्वारा सजा दी गयी?	स्वास्थ्य
श्री प्रीतम सिंह पंवार 23.10.2003	78. क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि अत्यधिक वृद्ध, रूग्ण एवं अशक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो राजकीय कोषागार नहीं जा सकते हैं को मनीऑर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?	द्वितीय सोम के अता.प्र. 127 में स्था.
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 24.10.2003	79. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न डिग्री कोर्सो के छात्रों हेतु अलग-अलग कुल कितना वार्षिक शुल्क/फीस नियत की है? क्या सरकार राज्य के गरीब व निर्धन छात्रों हेतु इसे कम करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	प्रथम सोम के अता.प्र. 123 में स्था.

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 24.10.2003	80.	क्या पर्यटन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के ग्राम चमतोली में स्थित सिद्धपीठ भगवान नृसिंह के मन्दिर का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
डा0 नारायण सिंह जंतवाल 24.10.2003	81.	क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नैनीताल स्थित पण्डित गोविन्द बल्लभ चिकित्सालय (रेमजी हॉस्पिटल) में अभी तक आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में शीघ्र इस चिकित्सालय में आधुनिक सुविधायें उपलब्ध करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री प्रीतम सिंह पंवार 22.10.2003	82.	क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने भूतपूर्व सैनिक बेरोज़गार हैं तथा वर्ष 2002 तक कितने पूर्व सैनिकों एवं सैनिकों की विधवाओं को पुनर्वासित किया गया है? शेष को पुनर्वासित करने की प्रदेश सरकार की क्या कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?	सैनिक कल्याण
श्री मातबर सिंह कण्डारी 03.11.2003	83.	क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के कितने जनपदों में अभी तक राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज नहीं खुले हैं? इन जनपदों में कब तक सरकार राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलेगी?	तकनीकी शिक्षा
श्री मातबर सिंह कण्डारी 03.11.2003	84.	क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में कितने पद महिला चिकित्सकों के स्वीकृत हैं? कितने पदों पर महिला चिकित्सक राजकीय अस्पतालों में कार्यरत हैं? प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?	स्वास्थ्य
श्री प्रीतम सिंह पंवार 05.11.2003	85.	क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड मुख्यालय थत्यूड़ में आई.टी.आई. खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उक्त आई.टी.आई. कब तक प्रारम्भ कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	तकनीकी शिक्षा
डा0 नारायण सिंह जंतवाल 10.11.2003	86.	क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्यटन व्यवसाय को गति देने के लिए कुमाऊ मण्डल मुख्यालय नैनीताल में संयुक्त निदेशक, पर्यटन का पद सृजित करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन

श्री मातबर सिंह कण्डारी 13.11.2003	87. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग में आई.टी.आई. चिरबटिया (लस्या) तथा आई.टी.आई. रूद्रप्रयाग में कितने अनुदेशक कार्यरत हैं तथा कितने अनुदेशकों के पद रिक्त हैं? क्या यह भी सत्य है कि इन संस्थानों में प्रधानाचार्य के पद भी रिक्त हैं? यदि हाँ, तो रिक्त पदों पर कब तक तैनातियाँ कर दी जायेंगी?	तकनीकी शिक्षा
श्री नारायण पाल 13.11.2003	88. क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि गो.ब.पन्त कृषि एवं प्रोद्यौगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर जिला उधमसिंह नगर को प्रारम्भ में कितनी ज़मीन लीज़ पर दी गयी थी तथा वर्तमान में कितनी ज़मीन का उपयोग किस कार्य के लिए किया जा रहा है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विश्वविद्यालय की कितनी ज़मीन सरकारी या निजी प्रतिष्ठानों को हस्तगत की गयी है इसका निर्णय किस स्तर से हुआ और क्यों? क्या इसके लिए कोई मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टेंडिंग बनाया गया है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री नारायण पाल 13.11.2003	89. क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि पन्तनगर विश्वविद्यालय उधमसिंह नगर जिले में कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं? क्या इन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक उस पर निर्णय हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री हरिदास 24.11.2003	90. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के राजकीय आई.टी. आई. हरिद्वार में वर्ष 2003 में प्रवेश के समय छात्राओं को प्रवेश में प्रतिशत के आधार पर ट्रेड आवंटित किये गये थे? क्या सरकार छात्रों के प्रवेश प्रतिशत तथा ट्रेड आवंटन सूची को सदन के पटल पर रखेगी?	श्रम
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 18.11.2003	91. क्या चिकित्सा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान कर दी गयी है? यदि हाँ, तो इस हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री प्रेमानन्द महाजन 18.11.2003	92. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2003-04 में जनपद उधमसिंह नगर में धान की कितनी सरकारी खरीद हुई? विकास खण्ड गदरपुर, उधमसिंह नगर में कहाँ-कहाँ पर खरीद केन्द्र स्थापित किये गये हैं? प्रति केन्द्र धान की कितनी खरीद हुई? कृषि मण्डी गदरपुर के वर्ष 2003-04 में धान की खरीद वर्ष 2002-03 के सापेक्ष कितनी अधिक हुई?	द्वितीय सोम के अता.प्र. 56 में स्था.

श्री प्रकाश पंत 19.11.2003	93. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल राज्य स्थित राजकीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों में इन्जीनियरिंग के विभिन्न विषयों में छात्रों का प्रवेश इस वर्ष नहीं किया जा सका? यदि हाँ, तो कितनी रिक्तियाँ विभिन्न विषयों में रह गयीं? रिक्तियाँ रहने के क्या कारण हैं?	तकनीकी शिक्षा
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 19.11.2003	94. क्या कृषि मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उत्तरांचल के कितने कृषकों द्वारा उक्त योजना का लाभ उठाया गया है? क्या सरकार इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है?	कृषि
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 01.12.2003	95. क्या चिकित्सा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के कुल कितनी दवा कम्पनियों ने अपने डिपो स्थापित कर दिये हैं तथा ऐसी कितनी कम्पनियाँ हैं जिन्होंने अपने डिपो स्थापित करने हेतु आवेदन दिया है? क्या सरकार दूसरे प्रदेशों में स्थापित डिपो की दवाईयाँ खरीदने पर रोक लगाने का विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य

(नत्थी "ग')

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 की बैठक में दिनांक 19 दिसम्बर, से 24 दिसम्बर, 2003 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

दिसम्बर, 2003

19 शुक्रवार

1. वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

विधायी कार्य

1. (क) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण (15 मिनट)।

(ख) उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण (45 मिनट)

(ग) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण (15 मिनट)।

असरकारी कार्य (आधा दिन)

3. श्री प्रकाश पन्त द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी विधेयक, के पुरःस्थापन एवं विचार :-

"उत्तरांचल गौ-वंश संरक्षण विधेयक, 2003"

4. विगत प्रथम सत्र के लम्बित असरकारी संकल्पों पर चर्चा :-

(क) श्रीमती विजय बड़थ्वाल

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के स्थान सिलोगी या जाखणीखाल में एक महिला पालिटैक्निक की स्थापना की जाय।"

(ख) श्री मातबर सिंह कण्डारी

"इस सदन का सुविचारित मत है कि प्रदेश के रेल मार्गो की न्यूनता को दृष्टिगत रखते हुये विधान सभा के सदस्यों को अनुमन्य रेलवे ट्रेवल कूपन्स के मूल्य के समतुल्य धनराशि पेट्रोल एवं डीजल के व्यय के लिए नगद भुगतान की व्यवस्था कर दी जाय।"

(ग) काजी निजामुद्दीन

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए कृषि योग्य सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जना चाहिये।"

वर्तमान सत्र के निम्नलिखित असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतीकरण

(घ) श्री प्रीतम सिंह पंवार

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक निधि द्वारा निर्माण कार्यो के अलावा धनावंटन करने के लिए मार्गदर्शिका में आवश्यक संशोधन तत्काल कराया जाय।"

(ङ) श्रीमती विजय बड़थ्वाल

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल के लक्ष्मण झूला स्वर्गाश्रम को नगर पंचायत बनाया जाय।"

(छ) श्री नारायण सिंह जन्तवाल

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अध्यक्ष, जिला पंचायत एवं ब्लाक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता द्वारा कराये जाय।"

(ज) श्री मातबर सिंह कण्डारी

"इस सदन का सुविचारित मत है कि उत्तरांचल के समग्र विकास के लिए अर्थशास्त्रियों, उद्योग विशेषज्ञों, वन विशेषज्ञों, पर्यटन विशेषज्ञों तथा कृषि विशेषज्ञों की एक कमेटी नियोजन के लिए गठित की जाय।"

(ज) श्री मदन कौशिक

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य में किसानों के गन्ना मूल्य निर्धारण एवं भुगतान हेतु नयी नीति बनाकर उसे तत्काल लागू किया जाय।"

20 शनिवार — अवकाश (बैठक नहीं होगी)।

21 रविवार — अवकाश (बैठक नहीं होगी)।

दिसम्बर, 2003

22 सोमवार

विधायी कार्य

1. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001(संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण।
2. (क) श्री बलवीर सिंह नेगी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:–

   "यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार व रघुनाथ मन्दिर घुत्तु को, चारधाम पद यात्रा मार्ग को चिन्हित कर चारधाम की कार्ययोजना से जोड़ा जाय।"

दिसम्बर, 2003
23 मंगलवार

विधायी कार्य

1. (क) उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण ।
(ख) उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण।
(ग) उत्तरांचल पंचायत (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण।

2. श्री मदन कौशिक द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित विषय पर एक घंटे की चर्चा :-

"प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या पर प्रभावी नियंन्त्रण हेतु सरकार द्वारा सार्थक प्रयास किये जाए।"

दिसम्बर, 2003
24 बुधवार

विधायी कार्य

1. (क) उत्तरांचल उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण।
(ख) उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण।
(ग) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण।
(घ) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण।

नत्थी "घ"

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 पर संशोधन।

प्रस्तावक का नाम

1. श्री काशी सिंह ऐरी,
2. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी,
3. श्री नारायण सिंह जन्तवाल,
4. श्री प्रीतम सिंह पंवार।

संशोधन

उक्त विधेयक में प्रस्तुत निम्न संशोधनों को सम्मिलित कर दिया जाय :-
(1) खण्ड 1 के उप-खण्ड (ii) में "उन क्षेत्रों के अतिरिक्त ------- लागू होगा" के स्थान पर "उन क्षेत्रों के अतिरिक्त जिनमें यू0पी0 जैड़0ए0 लागू नही था/है यह सम्पूर्ण क्षेत्र में लागू होगा।" प्रतिस्थापित किया जाय।

(2) खण्ड 2 के उप-खण्ड (ii) में निम्न परन्तुक जोड़ दिया जाय :- "शर्त यह होगी कि दिनांक 6-9-2003 से दिनांक 12-9-2003 के बीच निष्पादित भूमि विक्रय एवं मुख्तयारनामें की पृथक से समीक्षा करने का अधिकार राज्य सरकार का होगा।"

(3) खण्ड 4 के उप-खण्ड (ii) में निम्न परन्तुक जोड़ दिया जाय :- कि "दिनांक 6-9-2003 से दिनांक 12-9-2003 के बीच निष्पादित भूमि विक्रय की पृथक से समीक्षा करने का अधिकार राज्य सरकार का होगा।"

(4) खण्ड 5 के उप-खण्ड (i) के खण्ड (क) पूर्णतया हटा दिया जाय। खण्ड 5 के उप-खण्ड (i) के खण्ड (ग) में "कोई भी व्यक्ति" के आगे "जो उत्तरांचल राज्य का स्थाई या मूल निवासी हो" वाक्यांश जोड़ दिया जाय।

खण्ड 5 के उपखण्ड (i) के खण्ड (घ) में "कोई भी व्यक्ति" के आगे "जो उत्तरांचल राज्य का स्थाई या मूल निवासी हो।" वाक्यांश जोड़ दिया जाय।

खण्ड 5 के उप-खण्ड (i) का खण्ड (च) पूरी तरह हटा दिया जाय।

(5) खण्ड 6 की उपखण्ड (i) - (V) के खण्ड (ख) में "जनपद के कलेक्टर" के स्थान पर "राज्य सरकार" प्रतिस्थापित कर दिया जाय।